न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर

बइजलास दिव्या आर.ए.एस.

अनुवान देवीसिंह बनाम राधाकृष्ण आदि

दावा अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट 1955

प्रार्थना पत्र सं. 38/2024

निर्णय दिनांक 28/02/2025

देवीसिंह उर्फ देवाराम पुत्र जीवण जाति पुरोहित निवासी सवाई बास सांवल तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान

– प्रार्थी

बनाम्

1. राधाकृष्ण पुत्र जीवणसिंह जाति पुरोहित निवासी सवाई बास सांवल तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
2. डालचन्द पुत्र जीवणसिंह जाति पुरोहित निवासी सवाई बास सांवल तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
3. मांगीलाल पुत्र जीवणसिंह जाति पुरोहित निवासी सवाई बास सांवल तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
4. मोहनलाल पुत्र जीवणसिंह जाति पुरोहित निवासी सवाई बास सांवल तहसील सरदारशहर जिला चूरू राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं पदेन उपपंजीयक सरदारशहर जिला चूरू

– अप्रार्थीगण

उपस्थिति:

1. श्री रामनिवास सारण वास्ते प्रार्थी।
2. श्री शंकरदास स्वामी वास्ते अप्रार्थी सं. 2
3. एकपक्षीय कार्यवाही वास्ते अप्रार्थी सं. 1, 3 ता 4
4. पैरोकार राज अप्रार्थी सं. 5

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख0नं0 71 रकबा 8.5900 हैक्टेयर रोही मौजा सवाई बास सांवल तहसील सरदारशहर में स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी अविभाजित सहदायिकी कृषि भूमि होने से उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 का अपने हिस्से के मुताबिक कब्जा काश्त चला आ रहा है। जो भूमि [illegible] अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 को उनके पिता स्व0 जीवणसिंह से अर्जित हुई है। इसलिए [illegible] दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है। वादगत कृषि भूमि ख0नं0 71 रकबा 8.5900 हैक्टेयर [illegible] मौजा सवाई बास सांवल तहसील सरदारशहर में प्रार्थी का अविभाजित 183/679 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 1 का अविभाजित [illegible]/1358 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 2 का अविभाजित 183/679 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 3 का अविभाजित 55/679 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं0 4 का अविभाजित 151/1358 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकितानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.25 12:22:29 IST
Reason: SelfAttested

चला आ रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 अपने–अपने हिस्से के मुताबिक वादगत कृषि भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

वादगत कृषि भूमि ख0नं0 71 रकबा 8.5900 हैक्टेयर रोही मौजा सवाई बास सांवल तहसील सरदारशहर पर कब्जा काश्त पक्षकारान वाद का संयुक्त रूप से अपने–अपने हिस्से के अनुसार चला आ रहा है। प्रार्थी ने अपनी हिस्सा भूमि को काफी मेहनत कर उपजाउ बनाया है जिसके चलते वक्त काश्त अप्रार्थीगण अच्छे व खराब पासे को लेकर प्रार्थी के साथ विवाद करते रहते है और काश्त करने में परेशानियां पैदा करते है। अप्रार्थीगण की झगडालू प्रवृति के चलते प्रार्थी के लिए अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 के साथ संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं रहा है। इसलिए प्रार्थी वादगत कृषि भूमि में अपने 183/679 हिस्सा का खाता विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाण्उड्स के आधार करवाकर अपनी खातेदारी कृषि भूमि का अलग खाता एवं लगान कायम करने की घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी होने से इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 संख्या एवं बाहुबल में अधिक होने से वादगत कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि होने का फायदा उठाते हुए प्रार्थी की हिस्सा को विधि विरूद्ध से हड़पने पर आमादा है और अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 ने प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दी है कि उक्त कृषि भूमि को बिना विधिवत विभाजन करवाये अजनबी व्यक्तियों को विक्रय करवाकर खुर्द–बुर्द करेंगे और प्रार्थी का उसकी कब्जा काश्त से बेदखल कर देंगे। वादगत कृषि भूमि में प्रार्थी को उसके हक हिस्से से वंचित करने एवं प्रार्थी को उसकी कब्जा काश्त की कृषि भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में कामयाब हो गये तो वाद बाहुल्यता बढ़ेगी तथा प्रार्थी को भारी असुविधा एवं कभी पूरा न होने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित करावे कि वोह वादगत कृषि भूमि को रहन, बैय, मुन्तकिल एवं अन्य तरीके से स्थानान्तरित नहीं करे तथा प्रार्थी को उसकी हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि से बेदखल नहीं करे तथा कोई ऐसा कार्य या उपकार्य नहीं करे जिससे प्रार्थी के हक हिस्से पर विपरित असर पड़े। अप्रार्थी सं0 5 वादगत कृषि भूमि से सम्बन्धित दस्तावेजों को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद ना करे।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दौराने विचारण दावा अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 को वर्जित किया जावे वो कृषि भूमि ख0नं0 71 रकबा 8.5900 हैक्टेयर रोही मौजा सवाई बास सांवल तहसील सरदारशहर को बिना विधिवत विभाजन करवाये रहन, बैय, मुन्तकिल एवं अन्य तरीके से स्थानान्तरित नहीं करे प्रार्थी को उसकी कब्जा काश्त से बेदखल नहीं करे और प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी नहीं करे और राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे, ना ही ऐसा कार्य व उपकार्य करे व करवाये जिससे प्रार्थी के हक व हिस्से पर विपरीत असर पड़े अप्रार्थी सं0 5 को पाबन्द किया जावे कि वोह वादगत कृषि भूमि से सम्बन्धित विक्रय पत्र, रहननामा, वसीयत, दान पत्र आदि दस्तावेज पंजीयन नहीं करे व नामान्तरण स्वीकृत नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.25 12:22:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सशुल्क तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी सं0 2 की ओर से श्री शंकरदास स्वामी ने वकालतनामा व जवाबदावा निम्नानुसार पेश किया। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 वादपत्र अदालतनामा संस्थित किया जाना स्वीकार है शेष तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 जिस प्रकार से लिखी है अस्वीकार है प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 खसरा संख्या 71 क्षेत्रफल 8.5900 हैक्टेयर रोही सवाई बास सांवल मे स्थित कृषि भूमि में हिस्सेदार है। मुताबिक हिस्सा अपनी अपनी भूमि के काबिज काश्तकार चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 2 डालचन्द की रीढ की हड्डी मे क्षतिग्रस्त हो जाने से रूपयो की आवश्यकता होने पर अपने हिस्से की भूमि को बैंक मे रहन से अधिक राशि प्राप्त करने के लिए ईलाज के लिए प्रयास किया पहले से युको बैंक शाखा सरदारशहर के पुर्ण खाता हिस्सा डालंचद का रहन चला आ रहा है जिसको रहन मुक्त करवाकर अधिक राशि मे बैंक मे रहन रखने के लिए प्रयास किया तो प्रार्थी को इस बात की जानकारी हो गयी। अप्रार्थी डालचंद को परेशान करने के लिए अदालतनामा मे झुठा वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिजे काबिल है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 जिस प्रकार से लिखी है अस्वीकार है खसरा संख्या 71 क्षेत्रफल 8.5900 हैक्टेयर रोही सवाई बास सांवल मे डालचंद का 183/679 हिस्सा, देवी सिंह का 183/679 हिस्सा, मांगीलाल का 55/679, मोहनलाल का 151/1358 एंवम् राधाकृष्ण का 365/1358 हिस्सा खातेदारी है। डालचंद का युको बैंक शाखा सरदारशहर के रहन कर रखी है। प्रार्थी देवी सिंह ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सरदारशहर के रहन कर रखी है व राधाकृष्ण ने बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामिण बैंक शाखा सरदारशहर के रहन कर रखी है प्रार्थी देवी सिह ने जमाबन्दी मे उल्लेखित बैंको मे रहन के बारे मे खुलासा नही किया व तथ्यो को छिपाया है। दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से वाद व प्रार्थना पत्र अदालतनामा मे पेश किया है जो खारिजे काबिल है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार से लिखी है अस्वीकार है। पक्षकारान अपने हिस्से के अनुसार अलग के अनुसार विभाजन करके सीमा कायम कर रखी है कोई विवाद पक्षकारो [illegible] नही है। प्रार्थी जान अलग हिस्सो जिसके बारे मे बुझकर डालचंद को परेशान करने के लिए [illegible] को परेशान करने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश किया [illegible] खारिजे काबिल है अन्य तथ्य अस्वीकार है। मद संख्या 5 जिस प्रकार से लिखी है अस्वीकार है [illegible] हिस्सेदारों ने अपने अपने हिस्से के अनुसार बंटवारा करके सीमा कायम कर रखी है जिसका [illegible] हिस्सेदारो के मध्य कोई विवाद नही है। लेकिन प्रार्थी देवी सिंह दुर्भावनापुर्ण उद्देश्य से डालचंद की बीमारी का नाजायज फायदा उठाने के लिए रिकॉर्ड की यथास्थिति करवायी. है। अप्रार्थी बैड रेस्ट पर है व जीवन एंवम् मौत के बीच मे झुल रहा है। अप्रार्थी बैंक से रहन राशि बढाने के लिए अधिक रहन राशि प्राप्त करने की जानकारी होने पर प्रार्थी ने यह झूठा प्रकरण पेश किया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थी ने विशेष कथन में अंकित किया कि अप्रार्थी डालचंद वादगत कृषि भूमि का सहहिस्सेदार है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीजे काबिल है। प्रार्थी ने जमाबन्दी मे उल्लेखित बैंको को पक्षकार नही बनाया है एंवम् सही तथ्यो को छिपाया है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीजे काबिल है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 डालचंद की बीमारी बैड रेस्ट होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए झुठा प्रकरण पेश किया है जो खारिजे काबिल है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.25 12:12:29 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1 व 3 ता 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अप्रार्थी सं0 5 पैरोकार राज उपस्थित नहीं आने पर जवाब पैरोकार राज बन्द कर पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर की गई।

बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मूल वाद के निस्तारण तक कृषि भूमि ख0नं0 71 रकबा 8.5900 हैक्टेयर रोही मौजा सवाई बास सांवल तहसील सरदारशहर को बिना विधिवत विभाजन करवाये रहन, बैय, मुन्तकिल एवं अन्य तरीके से स्थानान्तरित नहीं करे, प्रार्थी को उसकी कब्जा काश्त से बेदखल नहीं करे और प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी नहीं करे और मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे, ना ही ऐसा कार्य व उपकार्य करे व करवाये जिससे प्रार्थी के हक व हिस्से पर विपरीत असर पड़े अप्रार्थी सं0 5 को पाबन्द किया जावे कि वोह वादगत कृषि भूमि से सम्बन्धित विक्रय पत्र, रहननामा, वसीयत, दान पत्र आदि दस्तावेज पंजीयन नहीं करें व नामान्तरण स्वीकृत नहीं करें। वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान अर्ज किये कथनों पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख व प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अध्ययन किया गया, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व अभिलेख की फोटो प्रतियों का अवलोकन किया गया।

न्यायालय को प्रकरण में प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त पर विचार किया जाता है जो निम्न प्रकार पाये गये हैः–

<u>प्रथम दृष्टया मामलाः</u> कृषि भूमि ख0नं0 71 रकबा 8.5900 हैक्टेयर रोही मौजा सवाई बास सांवल तहसील सरदारशहर में स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी अविभाजित सहदायिकी कृषि भूमि होने से उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 का अपने हिस्से के मुताबिक कब्जा काश्त चला आ रहा है। जो भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 को उनके पिता स्व0 जीवणसिंह से अर्जित हुई है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

<u>सुविधा का संतुलनः</u> वादगत कृषि भूमि ख0नं0 71 रकबा 8.5900 हैक्टेयर रोही मौजा सवाई बास सांवल तहसील सरदारशहर में प्रार्थी का अविभाजित 183/679 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 1 का अविभाजित 365/1358 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 2 का अविभाजित 183/679 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 3 का अविभाजित 55/679 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं0 [illegible]जित 151/1358 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकितानुसार चला आ रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी[illegible]1 ता 4 अपने–अपने हिस्से के मुताबिक वादगत कृषि भूमि पर [illegible]। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

<u>अपूरणीय क्षति का सिद्धांतः</u> हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा के संतुलन अपने पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रहा है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की अविभाजित भूमि का बेचान करके प्रार्थी को काश्त करने से वंचित करना चाहता है। यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.25 12:22:29 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है तथा प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में ही कानूनन माना जाता है।

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुके है तथा दौराने मूल वाद विचारण वादग्रस्त भूमि के हस्तान्तरण व मौका स्थिति में परिवर्तन होने से उत्पन्न होने वाली कानुनी जटिलताओं को रोकने के लिये वादग्रस्त भूमि के मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है. इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है जो स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से ता–फैसला दावा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि कृषि भूमि ख0नं0 71 रकबा 8.5900 हैक्टेयर रोही मौजा सवाई बास सांवल तहसील सरदारशहर के मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति ता–फैसला दावा कायम रखे। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर, मूल वाद संख्या 77/2024 के साथ नत्थी हो।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
सरदारशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 28/2/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर इजलास में सुनाया गया।

दिव्या (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.04.25 12:22:29 IST
Reason: SelfAttested